बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(जनगणना कोषांग)

अधिसूचना

संचिका संख्या–जनगणना कोषांग (अधिसूचना)–12/02–2025..... /रा0,दिनांक–........

केंद्र सरकार द्वारा जनगणना नियम 1990 के नियम 6क और नियम 6घ के साथ पठित जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37) की धारा–3 और धारा–17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या का.आ. 99(अ) दिनांक 7 जनवरी 2026 के आलोक में भारत की जनगणना, 2027 से सम्बंधित मकान सूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल 2026 से 30 सितम्बर 2026 के बीच सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाना है। स्व–गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा जो कि तीस दिन की घर–घर जाँकर मकान सूचीकरण का कार्य आरम्भ होने से ठीक पहले पन्द्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जायेगा।

2. जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37) के उपबंधों के अधीन बनाए गए जनगणना नियम 1990 के नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल आदेश देते हैं कि भारत की जनगणना–2027 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य **दिनांक–02.05.2026 से 31.05.2026 (कुल–30 दिवस)** तक की अवधि में संपूर्ण बिहार राज्य के सभी जिलों में सम्पन्न कराया जाएगा।

3. स्वगणना (Self Enumeration) के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो दिनांक–**17.04.2026 से 01.05.2026 (कुल–15 दिवस)** तक की अवधि में पूर्ण किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के
आदेश से,

ह0/–
(सी0के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

ई–मेल

संचिका संख्या–जनगणना कोषांग (अधिसूचना)–12/02–2025...20 (ज.को.)/रा0,दिनांक–..07/02/2026

प्रतिलिपि–राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/सभी विभागध्यक्ष/भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, जनगणना भवन, 2–ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011/निदेशक, जनगणना कार्य–सह–नागरिक निबंधन, बिहार, 8वॉ तल सी0–जी0 ब्लॉक कर्पूरी सदन, आशियाना–दीघारोड, पटना–800025/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला जनगणना पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी नगर निगम के प्रशासक/सभी नगरपालिका के कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी/सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सभी छावनी बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/02/2026

(सी0के0 अनिल)
प्रधान सचिव।